3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1701/दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 10-4-2012 - पारित व्दारा - अपर कलेक्टर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 380 अ-27/2010-11

लक्ष्मीप्रसाद पुत्र संगमलाल कुशवाह
ग्राम मझिगवां तहसील त्योंथर जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्ध

1- रामसनेही पुत्र संगमलाल कुशवाह
2- हीरालाल पुत्र छब्बू कुशवाह
छोनों ग्राम मझिगवां तहसील त्योंथर जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जितेन्द्र तिवारी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 05 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 380 अ-27/ 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 10-4-2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार वृत्त रायपुर तहसील त्योंथर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत सामिलाती भूमि के बटवारे का दावा प्रस्तुत किया। तहसीलदार वृत्त रायपुर तहसील त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 33 अ 27/ 2010-11 पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की। तहसीलदार व्दारा हलका पटवारी से फर्द (पुल्ली) मांगी गई , जो हलका पटवारी ने 19-9-2010 को तैयार कर प्रस्तुत की, जिस पर आवेदक ने दिनांक 5-10-10 को एंव अनावेदक क्रमांक-1 ने दिनांक 31-5-11 को आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किये । तहसीलदार वृत्त रायपुर तहसील त्योंथर ने आपत्ति आवेदनों पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 20-6-11 पारित किया तथा निर्णीत किया कि पुल्ली

पर आपत्ति का विनिश्य किया जाना उचित नहीं है एंव प्रकरण अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क्रमांक 1 ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 380 अ-27/ 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 10-4-2012 से निगरानी स्वीकार करते हुये तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 20-6-11 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 33 अ 27/ 2010-11 के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण में आवेदक का आपत्ति आवेदन 5-10-10 पृष्ठ 8 पर एंव फर्द अनावेदक क्रमांक-1 का आपत्ति आवेदन दिनांक 31-5-11 पृष्ठ 14,15 पर संलग्न है जिनके संबंध में तहसीलदार का अंतरिम आदेश दि. 20-6-11 इस प्रकार है -

" अना. व्दारा पुल्ली पर आपत्ति की गई है। प्रकरण में आवे. साक्ष्य लिए गए हैं एंव अना. साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत है। ऐसी स्थिति में पुल्ली पर आपत्ति का विनिचयन किया जाना उचित नहीं है। "

सामान्य सिद्वांत है कि प्रकरण में जब दोनों पक्षों को आपत्ति आवेदन पर सुना गया है तब आपत्ति आवेदन का निराकरण लाजमी है। इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर जिला रीवा ने आदेश दिनांक 10-4-2012 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" गैर निगरानीकर्ता की आपत्ति का निराकरण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के व्दारा प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। खतौनी नकल वर्ष 2008-09 में निगरानीकर्ता एंव गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है और पटवारी के व्दारा प्रस्तुत बटवारा पुल्ली पर निगरानीकर्ता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है और पटवारी के व्दारा प्रस्तुत बटवारा पुल्ली में निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के व्दारा आपत्ति आवेदन पत्र का निराकरण किया जाना चाहिये था परन्तु आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है व प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत कर बैधानिक त्रृटि की गई है।

अपर कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 10-4-12 में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप के आधार नहीं है जिसके कारण निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 380 अ-27/ 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 10-4-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर